



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

37AC 109183

प्रारूप 26
(नियम 4क देखिए)



72 बालिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचन के लिए स्टिम्पिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र


भाग-क
मैं शेषनाथ पुत्र/पुत्री/पत्नी राम परिवार आयु 45 वर्ष, जो ग्राम व
पोस्ट - चौरा धनपद- बालिया (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और
उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन
कस्ता हूँ/करती हूँ-
मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ :
(* जो लागू न हो उसे काट दें)
(2) मेरा नाम शेषनाथ (उ0प्र0)(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग

सं 238 क्रम सं 509 पर प्रविष्ट है।
(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं 9984747904 है/और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो).....
नहीं है।

शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए-
मेरा टेलीफोन नं नहीं है/हैं,
मेरा ईमेल आई.डी (यदि कोई हो) नहीं है,
और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट(यदि कोई हो) नहीं है

शेषनाथ



कमरा 2

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के व्यौरे और आय-कर विवरण फाइल करने की प्रास्थिति

क्र०स०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं शैलनाथ	शून्य	2013-14	शून्य
2	पति या पत्नी पन्नशिखा	शून्य	2013-14	शून्य
3	आश्रित-1 प्रियशकुं	शून्य	2013-14	शून्य
4	आश्रित-2 प्रीति कुं	शून्य	2013-14	शून्य
5	आश्रित-3 कल्पना	शून्य	2013-14	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधो) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधो) का/की अभियुक्त है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे

नहीं

(ख) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधो) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है

लागू नहीं

(ग) न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख

लागू नहीं

(घ) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा अपराध (अपराधो) की विरचना की गई


लागू नहीं

(ड) तारीख(तारीखे) जिनको आरोप विरचित किए गए थे

लागू नहीं

भाग II- खण्ड 3(ii)

(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है	लागू नहीं
-----	--	-----------



शैलनाथ

क्रमश 3

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/है जिनमे न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त मद (i) मे वर्णित मामलो से भिन्न:-


(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाशु नहीं
(ख)	उन मामलो के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नाशु नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनो) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नाशु नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलो के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नाशु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाशु नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नाशु नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	नाशु नहीं



श्रीधरनाथ

क्रमश 4

(7) मैं स्वयं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों को परिसम्पत्तियों (चल और अचल आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ: जगन अस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - सयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए सयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 - जमा/निवेश की दशा में क्रम संख्या, रकम जमा की तारीख योजना बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य, स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - प्रत्येक निवेश के सम्बन्ध में राशि सहित विवरण अलग से दिये जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50000.00	100000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (सावधि जमा, टर्म डिपॉजिट और अन्य सभी प्रकार के जमा राशि जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा रकम	50000.00	125000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंध पत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म कंपनी न्यास आदि को दिए गए व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



— शिष्यालय

भाग II- खण्ड 3(ii)


(vi)	मोटरयान/वायुयान/ /याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान	209.00 जेवरात 650000	309.00 लोकर 1020000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य परिसम्पत्तियों जैसे दावो/हितों का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	100000	111200.00	शून्य	शून्य	शून्य

ख स्थावन आस्तियों के व्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।


क्र0स0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शेष क्रय 1- 228 2- 445	प- ना देवी लागू नहीं शून्य	पियारा कुं शून्य	शीले कुं शून्य	कार्तिक शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1- 62000 2- 55000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है। (हां या नहीं)	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



क्रमश 6


श्रीमती

(ii) गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (सख्याए)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं				
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं				
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं				
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं				
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं				
अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	10 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (सख्याए)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं				
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं				
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं				
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं				
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं				
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं				
अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं				



II- खण्ड 3(ii)

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याए)	शून्य बालिका शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1500 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि कि माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	15000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	उक्त (i)से (v) तक का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	10750000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य




क्रमशः 8

श्रीधर (१५)

3) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों का विवरण नीचे देता हूँ :-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्थान, इकाई या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद हेतु रकम के ब्यौरो का पृथक विवरण दें)

क्र० स०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्थान (संस्थाओं) का ऋण या देयताएं बैंक या वित्तीय संस्था का नाम व बकाया रकम ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पुर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिको, निकाय को ऋण या शोध्य नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विनिर्दिष्ट है? यदि हा,	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



शोधनाथ

(भाग II- खण्ड 3(ii))

तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का नाम जिसके समक्ष यह लम्बित है, का वर्णन करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
--	-------	-------	-------	-------	-------

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... शोषनाथ - कृषि

(ख) पति या पत्नी..... पत्नी देवी - गृहणी


(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- गर्ल स्कूल S.B.B.P Inter college Haridwar Pur Ballia U.P. Board 1987

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए ब्यौरो का उद्धकरण

1.	अथयर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कूट शोषनाथ		
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम व पोस्ट - चौरा जनपद - बालिया उत्तर प्रदेश		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	72 बालिया उत्तर प्रदेश		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा) (स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र		
5.	(i) ऐसे लंबित मामलो की कुल संख्या जिनमे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य		
	(ii) ऐसे मामलो की कुल संख्या जिनमे न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलो से भिन्न)	शून्य		
6.	ऐसे कुल मामलो की संख्या जिनमे सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य		
7.	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य



क्रमश...10

शोषनाथ

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगन आस्तियां (कुल मूल्य)	220000	111200	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	1075000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	1075000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	1075000	111200	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चलम शैक्षिक अहता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुये उच्चलम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया था, का ब्यौरे दे।)					

शोषनाथ

क्रमश...11

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 6 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी

भारत का राजपत्र : असाधारण

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" "या लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।


टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5 अभ्यर्थियों द्वारा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) वर्ष 2008 की सं० 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिये गये दिनांक 13-09-2013 के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पण दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

THIS INSTRUMENT PRESENTED BEFORE ME TO BE VERIFIED
 by Smt./Km. ... AM/PM at serial No. ...
 S/o D/o W/o ... Aged ... Years ...
 R/o ... Po. ...
 Dist. ... who satisfactorily understand
 the contents of the instrument and put their signature
 which I have verified after

25/11/14

NOTARY



शेषनाथ

शेषनाथ